

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(पी-211) अलेसे-1/ 498

दिनांक:- 09-10-19

कार्यालय आदेश

श्री पुष्कर नन्द मिश्रा, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-। (लिंग नं. 420) (अब सेवानिवृत्त), को निदेशक, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 416-21 दिनांक 12.01.2018 के द्वारा कार्यमुक्त करने के पश्चात्, दिनांक 13.01.2018 एवं 14.01.2018 के राजकीय अवकाश का उपभोग करते हुए दिनांक 15.01.2018 को श्री मिश्रा द्वारा इस निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति दी गई थी, लेकिन इसके उपरांत श्री मिश्रा दिनांक 16.01.2018 से 04.02.2018 तक लगातार अनुपस्थित रहे। विभागीय आदेश संख्या 311/2017-18 दिनांक 24.01.2018 के द्वारा निदेशालय, वादकरण विभाग, जयपुर में श्री मिश्रा का पदस्थापन किया गया, जिसके क्रम में इन्होंने दिनांक 05.02.2018 को नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण किया।

अतः उपरोक्त क्रम में दिनांक 15.01.2018 के आदेशों की प्रतीक्षा अवधि तथा श्री मिश्रा द्वारा प्रस्तुत उक्त अवधि के अवकाश आवेदन पत्र के आधार पर दिनांक 16.01.2018 से 04.02.2018 तक कुल 20 दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 15.01.2018 से 04.02.2018 तक की अवधि के वेतन का भुगतान अंतिम पदस्थापन कार्यालय निदेशालय, वादकरण विभाग, जयपुर से आहरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(पी-211) अलेसे-1/ 498

दिनांक:- 09-10-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, वादकरण विभाग, जयपुर।
2. कोषाधिकारी (सचिवालय), जयपुर।
3. श्री पुष्कर नन्द मिश्रा, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-। (अब सेवानिवृत्त), 885, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)